संख्या- 25/2022 /1090ई-2/तेरह-2022-02/2013-94257

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊःदिनांकः 20 जून, 2022**

विषय- मेसर्स सैफयीस्ट कम्पनी प्राइवेट लि.हरदोई की वास्तविक शीरा उपभोग क्षमता के निर्धारण के सम्बन्ध में **अनुमति के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-07/दस-140 सी(04)/व.शी.उ./2005-06 दिनांक 02 मई 2022 एवं पत्र सं.-जी-22/दस-140 सी(04)/व.शी.उ./2005-06 दिनांक 06 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मई 2022 एवं 06 जून , 2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सैफयीस्ट कम्पनी प्रा.लि.सण्डीला ,हरदोई की वार्षिक शीरा उपभोग की वर्तमान क्षमता 7,22,400 कुन्तल में 1,30,240 कुन्तल की वृद्वि करते हुए शीरे की वार्षिक उपभोग क्षमता 8,52,640 निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**